



(दिनांक 05.05.2018 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।)

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है"।



### कर्मचारी चयन आयोग

#### विज्ञप्ति

#### संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2018

अंतिम तिथि: 04.06.2018

कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (टियर-I) की तिथि: 25.07.2018-20.08.2018

टियर-II की तिथि: बाद में अधिसूचित की जाएगी ।

टियर-III की तिथि(वर्णनात्मक): बाद में अधिसूचित की जाएगी ।

टियर-IV (कौशल परीक्षा)की तिथि: बाद में अधिसूचित की जाएगी ।

**फा.सं. 3/1/2018-नी. व यो.1,** कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों को भरने के लिए संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2018, आयोजित करेगा। संयुक्त स्नातक स्तरीय की टियर-I परीक्षा 25.07.2018 से 20.08.2018 तक कंप्यूटर आधारित पद्धति में आयोजित की जाएगी । संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के माध्यम से विभिन्न पदों में अंतिम चयन, संबंधित मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/संवर्गों से परिणामों की घोषणा से पहले रिक्तियों की निश्चित संख्या की सूचना मिलने के अधीन किया जाएगा । परीक्षा के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

**2. पदों का ब्यौरा :-** संभावित पदों का ब्यौरा नीचे दिया गया है, जिन्हें इस परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा ।

**2.1. वेतन बैंड-II। 9300-34800/-रु.(संशोधन-पूर्व)**

पदों के समूह	क्रम संख्या	पद का नाम	मंत्रालय/विभाग /कार्यालय/संवर्ग	पदों का वर्गीकरण	ग्रेड वेतन (ग्रे पे)	पद के लिए अनुमत शारीरिक दिव्यांगता की प्रकृति	आयु सीमा
ए	1	सहायक लेखा अधिकारी	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	समूह "ख" राजपत्रित (अलिपिक वर्गीय)	4800	अ.दि.(एक बांह, एक पैर, दोनों पैर) तथा श्रवण दिव्यांग	30 वर्ष से अधिक न हो।
	2	सहायक लेखा अधिकारी	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	समूह "ख" राजपत्रित (अलिपिक वर्गीय)	4800	अ.दि.(एक बांह, एक पैर, दोनों पैर) तथा श्रवण दिव्यांग	30 वर्ष से अधिक न हो।

बी	3	सहायक अनुभाग अधिकारी	केंद्रीय सचिवालय सेवा	समूह 'ख'	4600	एक बांह, एक पैर, दृष्टिहीन, दोनों पैर, एक बांह एवं एक पैर, अल्प दृष्टि तथा श्रवण दिव्यांग	20 - 30 वर्ष	
	4	सहायक अनुभाग अधिकारी	आसूचना ब्यूरो	समूह "ख"	4600		30 वर्ष से अधिक नहीं	
	5	सहायक अनुभाग अधिकारी	रेल मंत्रालय	समूह "ख"	4600	एक बांह, एक पैर, दृष्टिहीन, दोनों पैर, अल्प दृष्टि तथा श्रवण दिव्यांग	20 - 30 वर्ष	
	6	सहायक अनुभाग अधिकारी	विदेश मंत्रालय	समूह "ख"	4600	एक बांह, एक पैर, दृष्टिहीन, दोनों पैर, एक बांह एवं एक पैर, अल्प दृष्टि तथा श्रवण दिव्यांग	20 - 30 वर्ष	
	7	सहायक अनुभाग अधिकारी	सशस्त्र सेना मुख्यालय	समूह "ख"	4600		20 - 30 वर्ष	
	8	सहायक	अन्य मंत्रालय/विभाग/संगठन	समूह "ख"	4600	एक बांह, एक पैर, दृष्टिहीन, दोनों पैर, एक बांह एवं एक पैर, अल्प दृष्टि तथा श्रवण दिव्यांग	18 - 30 वर्ष	
	9	सहायक	अन्य मंत्रालय/विभाग/संगठन	समूह "ख"	4600		20 - 30 वर्ष	
	10	सहायक अनुभाग अधिकारी	अन्य मंत्रालय/विभाग/संगठन	समूह "ख"	4600		30 वर्ष से अधिक नहीं	
	11	सहायक	अन्य मंत्रालय/विभाग/संगठन,	समूह "ख"	4200	एक बांह, एक पैर, दृष्टिहीन, दोनों पैर, एक बांह एवं एक पैर, अल्प दृष्टि तथा श्रवण दिव्यांग	30 वर्ष से अधिक नहीं	
	12	सहायक/ अधीक्षक	अन्य मंत्रालय/विभाग/संगठन,	समूह "ख"	4200		30 वर्ष से अधिक नहीं	
	बी	13	आयकर निरीक्षक	के.प्र.क बोर्ड	समूह "ग"	4600	एक बांह, एक पैर, दोनो पैर, एक बांह और एक पैर, श्रवण दिव्यांग	30 वर्ष से अधिक नहीं
		14	निरीक्षक (केंद्रीय उत्पाद शुल्क )	के.उ.शु.सी.शु बोर्ड	समूह "ख"	4600	एक बांह, एक पैर, एक बांह और एक पैर, श्रवण दिव्यांग	30 वर्ष से अधिक नहीं
15		निरीक्षक (निवारक अधिकारी)	के.उ.शु.सी.शु बोर्ड	समूह "ख"	4600		30 वर्ष से अधिक नहीं	
16		निरीक्षक (परीक्षक)	के.उ.शु.सी.शु बोर्ड	समूह "ख"	4600	एक पैर, श्रवण दिव्यांग	30 वर्ष से अधिक नहीं	

	17	सहायक प्रवर्तन अधिकारी	प्रवर्तन निदेशालय राजस्व विभाग	समूह "ख"	4600	यह पद शा.दि. अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है ।	30 वर्ष तक
	18	उप निरीक्षक	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	समूह "ख"	4600	यह पद शा.दि. अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है ।	20-30 वर्ष
	19	डाक निरीक्षक	डाक विभाग	समूह "ख"	4600	यह पद शा.दि. अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है ।	18 - 30 वर्ष
	20	प्रभागीय लेखाकार	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन कार्यालय	समूह "ख"	4200	एक पैर, आंशिक बधिर, बधिर	30 वर्ष से अधिक नहीं
	21**	निरीक्षक	केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो	समूह "ख"	4600	यह पद शा.दि. अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है ।	18 - 27 वर्ष
	22	उप निरीक्षक	राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)	समूह "ख"	4200	यह पद शा.दि. अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है ।	30 वर्ष तक
सी	23	कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	समूह "ख"	4200	यह पद दिव्यांगता की निम्नलिखित प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाए गए हैं।*	32 वर्ष तक

(\*\*) संबंधित विभाग द्वारा ऊपरी आयु सीमा को 30 वर्ष तक बढ़ाने के अध्यक्षीन रिक्तियों को स्वीकार किया जाएगा ।

(\*) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के पद के लिए अनुमत्य दिव्यांगताएं:

क्रम सं.	दिव्यांगता की प्रकृति	वे शारीरिक अपेक्षाएं जिन्हें 40 % अथवा अधिक की दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पूरा करना आवश्यक है।	दिव्यांग व्यक्ति की श्रेणियां
1.	अल्प दृष्टि (दृष्टि दिव्यांग)	एस, एस टी, डब्ल्यू, एम एफ, आर डब्ल्यू, एस ई, सी	अल्प दृष्टि व्यक्ति के बारे में सहायक साधनों और उपकरणों तथा उपयुक्त सॉफ्टवेयर अवलंब सहित विचार किया जाना चाहिए।
2.	श्रवण दिव्यांग	एस, एस टी, डब्ल्यू, एम एफ, आर डब्ल्यू, एस ई, सी	श्रवण दिव्यांग व्यक्ति सहायक साधनों और उपकरणों को लगाने के बाद सम्प्रेषण करने में समर्थ होना चाहिए।
3.	गति विषयक	एस, एस टी, डब्ल्यू, एम एफ, आर डब्ल्यू, एस ई, सी	एक बांह (एक बांह प्रभावित) एक पैर (एक पैर प्रभावित) एक बांह और एक पैर (एक बांह और एक पैर प्रभावित) दोनों पैर (दोनों पैर प्रभावित) गतिशीलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। व्यक्तियों का मूल्यांकन सहायक साधनों और उपकरणों के साथ किया जाना चाहिए।

2.2. वेतन बैंड- I 5200-20200/-रु. (संशोधन-पूर्व)

पदों के समूह	क्रम संख्या	पद का नाम	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/संवर्ग	वर्गीकरण	ग्रेड वेतन (ग्रे. पे.)	पद के लिए अनुमत शारीरिक दिव्यांगता की प्रकृति	आयु सीमा
डी	24	लेखा परीक्षक	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंतर्गत कार्यालय	समूह "ग"	2800	एक बांह , एक पैर , दोनो पैर तथा श्रवण दिव्यांग	18 - 27 वर्ष
	25	लेखा परीक्षक	रक्षा लेखा महानियंत्रक के अंतर्गत कार्यालय	समूह "ग"	2800		18 - 27 वर्ष
	26	लेखा परीक्षक	अन्य मंत्रालय/विभाग	समूह "ग"	2800		18 - 27 वर्ष
	27	लेखाकार	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंतर्गत कार्यालय	समूह "ग"	2800	एक बांह, एक पैर, एक बांह एवं एक पैर, दोनो पैर, दृष्टिहीन, अल्प दृष्टि, श्रवण दिव्यांग,	18 - 27 वर्ष
	28	लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार	अन्य मंत्रालय/विभाग	समूह "ग"	2800	एक बांह, एक पैर, एक बांह एवं एक पैर, दोनों पैर, श्रवण दिव्यांग	18 - 27 वर्ष
	29	वरिष्ठ सचिवालय सहायक/उच्च श्रेणी लिपिक	के स लि से संवर्गों के अलावा केंद्रीय सरकार के कार्यालय/मंत्रालय	समूह "ग"	2400	एक बांह, एक पैर ,दोनों पैर, एक बांह और एक पैर, दृष्टिहीन, अल्प दृष्टि, श्रवण दिव्यांग	18 - 27 वर्ष
	30	कर सहायक	के.प्र.कर बोर्ड	समूह "ग"	2400	दोनों पैर ,एक पैर, आंशिक बधिर, बधिर, आंशिक दृष्टिहीन, दृष्टिहीन, एक बांह, एक बांह और एक पैर	18 - 27 वर्ष
	31	कर सहायक	के.उ.शु.सी.शु. बोर्ड	समूह "ग"	2400	दोनों पैर ,एक पैर, आंशिक बधिर, बधिर, आंशिक दृष्टिहीन, दृष्टिहीन, एक बांह	20 - 27 वर्ष
	32	उप निरीक्षक	केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो	समूह "ग"	2400	यह पद शा.दि. अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है ।	18 - 27 वर्ष
33	उच्च श्रेणी लिपिक	सीमा सड़क संगठन महानिदेशालय (रक्षा मंत्रालय) <b>(अनुबंध-X पर दिए गए उच्चतर चिकित्सा मानकों सहित केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए)</b>	समूह "ग"	2400	यह पद शा.दि. अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है ।	18 - 27 वर्ष	

उपयोग की गई संक्षिप्तियां:

- (i) शारीरिक दिव्यांगताओं की प्रकृति: अ.दि.-अस्थि दिव्यांग, ए.बां.-एक बांह प्रभावित, ए.पै.- एक पैर प्रभावित, ए.बां.पै.- एक बांह और एक पैर प्रभावित, दो.पै.-दोनों पैर प्रभावित, दृ.- दृष्टिहीन, अ.दृ.-अल्प दृष्टि, आं.ब.-आंशिक बधिर, ब.-बधिर, आं.दृ.-आंशिक दृष्टिहीन, श्र.दि.-श्रवण दिव्यांग ।
- (ii) शारीरिक अपेक्षाएं : एस- बैठना, एसटी-खड़े होना, डब्ल्यू- चलना, एमएफ-ऊंगलियों द्वारा परिचालन, आर डब्ल्यू- पढ़ना एवं लिखना, एस ई- देखना, सी- सम्प्रेषण ।

**टिप्पणी-I :** आयोग पदों का अंतिम रूप से आबंटन योग्यता-सह-अभ्यर्थियों द्वारा दी गई पदों की वरीयताओं के आधार पर करता है और पद का एक बार आबंटन करने के बाद, किसी पद की शारीरिक/चिकित्सा/शैक्षिक मानकों की विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा न करने के कारण, आयोग द्वारा पदों के आबंटन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। अन्य शब्दों में, उदाहरणतः यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी उच्चतर पद के लिए वरीयता दी है और वह उस पद के लिए चयनित हो जाता है; ऐसे मामले में, यदि वह चिकित्सा/शारीरिक/शैक्षिक मानकों को पूरा नहीं कर पाता/पाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसके बारे में किन्हीं अन्य वरीयताओं के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

**टिप्पणी-II:** दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा जब कभी आयोग द्वारा अपेक्षित हो, पदों के लिए वरीयता देते समय अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि इसमें निरीक्षक(केंद्रीय उत्पाद शुल्क/परीक्षक/निवारक अधिकारी), केन्द्रीय नॉरकॉटिक्स ब्यूरो में निरीक्षक और उप निरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और राष्ट्रीय जांच एजेन्सी में उप निरीक्षक और सीमा सड़क संगठन में उच्च श्रेणी लिपिक इत्यादि जैसे कुछ ऐसे पद हैं, जिनकी शारीरिक मानकों, शारीरिक जांचों और चिकित्सा मानकों(जिनका उल्लेख पैरा सं. 11 और अनुबंध-X में किया गया है) की विशिष्ट अपेक्षाएं हैं। अभ्यर्थियों को अपनी वरीयताएं/विकल्प देने से पूर्व अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे पदों की सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन और संबंधित प्रयोक्ता विभागों को नामांकन होने के पश्चात् प्रयोक्ता विभाग द्वारा शारीरिक मानकों का मापन, शारीरिक और चिकित्सा जांच का आयोजन किया जाएगा।

**टिप्पणी-III:** जैसा कि "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" दिनांक 19.04.2017 से लागू हो चुका है तथा अस्थि दिव्यांग, श्रवण दिव्यांग तथा दृष्टि दिव्यांग श्रेणियों के अलावा, इसमें दिव्यांगता की नई श्रेणियों जैसे ऑटिज्म, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता, मानसिक रूग्णता एवं बहु-दिव्यांगता इत्यादि को शामिल किया गया है। इस प्रकार, ऐसी दिव्यांगताओं से पीड़ित अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अपनी दिव्यांगताओं का ब्यौरा देते हुए आवेदन कर सकते हैं। तथापि, उनका चयन इन श्रेणियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान और मांगकर्ता विभागों द्वारा रिक्तियों की सूचना देने के अध्यक्षीन होगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.01.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/02/2017-स्था.(आरक्षण) के तहत यथा-निर्धारित विभिन्न दिव्यांगताओं से पीड़ित अभ्यर्थी <http://www.ssconline@nic.in> पर ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन प्रपत्र में निम्नलिखित दिव्यांगजन श्रेणियों को चुन सकते हैं :

क्रम संख्या	दिव्यांगता की किस्म	पंजीकरण/आवेदन प्रपत्र में चयनित की जाने वाली दिव्यांगता की श्रेणी
(क)	दृष्टिहीनता एवं अल्प दृष्टि	दृष्टि दिव्यांग
(ख)	बधिर एवं कम सुनने वाला	श्रवण दिव्यांग
(ग)	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित, ठीक किया हुआ कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित तथा मांसपेशीय दुर्विकास सहित चालन संबंधी दिव्यांगता।	अस्थि दिव्यांग
(घ)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता।	
(ङ)	बधिर- दृष्टिहीनता सहित (क) से (घ) खंडों के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्तियों को साथ-साथ बहु-दिव्यांगताएं	अन्य

**टिप्पणी IV :** का.एवं प्र. विभाग के दिनांक 09.04.2009 के आदेश सं. 11012/7/2008-स्था (क) के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली, 1965 के अंतर्गत वर्गीकृत पद निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	पदों का विवरण	पदों का वर्गीकरण
1	निम्नलिखित ग्रेड वेतन वाला केंद्रीय सिविल पद :-	समूह - ख

	वेतन बैंड-2 में 9300-34800 रूपए के वेतनमान में 5400 रु., 4800 रु., 4600 रु. व 4200 रु.	
2	निम्नलिखित ग्रेड वेतन वाला केंद्रीय सिविल पद :- वेतन बैंड-1 में 5200-20200 रूपए के वेतनमान में 2800 रु., 2400 रु., 2000 रु., 1900 रु. व 1800 रूपए	समूह - ग

**टिप्पणी V :** तथापि, आयोग प्रयोक्ता विभागों द्वारा सूचित भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों और रिक्तियों के वर्गीकरण को स्वीकार करता है ।

**टिप्पणी VI:** नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है अर्थात् ये सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व(अ.भा.से.दा.) के हैं ।

**टिप्पणी: VII:** सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी के पद के लिए चयनित अभ्यर्थी को, इस भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली अपेक्षित रिक्तियों की संख्या, अभ्यर्थी का योग्यता-क्रम और किसी विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए उसकी वरीयता के आधार पर सम्पूर्ण भारत में फैले विभाग में विभिन्न कार्यालयों के लिए आवंटित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, चयनित अभ्यर्थी, जिनके पास वाणिज्य में स्नातक डिग्री अथवा वांछनीय अर्हता है, को प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर तथा रिक्तियों की उपलब्धता के अध्यधीन, अधिमानतः वाणिज्यिक स्ट्रीम के लिए आवंटित किया जाएगा ।

**टिप्पणी: VIII:** संभावित रिक्तियों की सूचना उचित समय पर दी जाएगी । परीक्षा के परिणाम को दस्तावेज सत्यापन से पूर्व प्रयोक्ता विभागों से प्राप्त अंतिम रिक्तियों की संख्या के आधार पर तैयार किया जाएगा ।

### 3. आरक्षण

- (i) रिक्तियों की निश्चित संख्या दस्तावेज सत्यापन के समय अर्थात् अंतिम परिणाम की घोषणा से कम से कम एक महीने पूर्व निर्धारित की जाएगी ।
- (ii) सभी श्रेणी के पदों/सेवाओं हेतु जहाँ कहीं भी लागू और स्वीकार्य हो, अनुसूचित जाति(अजा), अनुसूचित जनजाति(अजजा) अन्य पिछड़ा वर्ग(अपिव), भूतपूर्व सैनिक(भूपूसै) और शारीरिक रूप से दिव्यांग(शादि) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का निर्धारण वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार और मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/संवर्गों द्वारा सूचित किए गए अनुसार होगा ।
- (iii) वर्तमान सरकारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियां केवल समूह 'ग' पदों के लिए आरक्षित होंगी ।

### 4. राष्ट्रीयता/नागरिकता:

अभ्यर्थी या तो

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) नेपाल की प्रजा हो, या
- (ग) भूटान की प्रजा हो, या
- (घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या
- (ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया(भूतपूर्व टंगानिका व जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन किया हो।

4.1 बशर्ते कि उपरोक्त (ख),(ग),(घ) तथा (ड.) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका हो ।

4.2 ऐसे अभ्यर्थी, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, को परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही दिया जाएगा ।

#### 5.1 . आयु सीमा की गणना 1 अगस्त, 2018 को की जाएगी ।

- |  |  |
|--|--|
| (i) वह पद जिसके लिए आयु सीमा 20 - 27 वर्ष है   | उसका जन्म 02.8.1991 से पूर्व और 01.8.1998 के पश्चात न हुआ हो । |
| (ii) वह पद जिसके लिए आयु सीमा 18 - 27 वर्ष है  | उसका जन्म 02.8.1991 से पूर्व और 01.8.2000 के पश्चात न हुआ हो । |
| (iii) वह पद जिसके लिए आयु सीमा 20 - 30 वर्ष है | उसका जन्म 02.8.1988 से पूर्व और 01.8.1998 के पश्चात न हुआ हो । |
| (iv) वह पद जिसके लिए आयु सीमा 30 वर्ष तक है    | उसका जन्म 02.8.1988 से पूर्व और 01.8.2000 के पश्चात न हुआ हो । |
| (v) वह पद जिसके लिए आयु सीमा 32 वर्ष तक है     | उसका जन्म 02.8.1986 से पूर्व और 01.8.2000 के पश्चात न हुआ हो । |

5.2 आयु पात्रता के निर्धारण के लिए आयोग द्वारा केवल मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

5.3 ऊपरी आयु सीमा में छूट की स्वीकार्यता तथा गणना की तिथि (01.8.2018) को आयु में छूट का दावा करने के लिए श्रेणी कोड नीचे दिए गए हैं :

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट
01	अजा/अजजा	05 वर्ष
02	अ पि व	03 वर्ष
03	शा दि	10 वर्ष
04	शा दि + अपिव	13 वर्ष
05	शा दि + अजा / अजजा	15 वर्ष
06	भूतपूर्व सैनिक(भूपूसै)	आवेदन प्राप्त की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
07	<u>समूह 'ख' पदों के लिए</u> केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी जिन्होंने आवेदन प्राप्त की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	5 वर्ष
08	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा/अजजा) जिन्होंने आवेदन प्राप्त की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	10 वर्ष
09	<u>समूह 'ग' पदों के लिए</u> केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी जिन्होंने आवेदन प्राप्त की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	40 वर्ष की आयु तक
10	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा/अजजा) जिन्होंने आवेदन प्राप्त की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	45 वर्ष की आयु तक

11	अभ्यर्थी जो साधारणतया 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों ।	05 वर्ष
12	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो	35 वर्ष की आयु तक
13	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो <b>(अजा/अजजा)</b>	40 वर्ष की आयु तक
14	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक	03 वर्ष
15	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक <b>(अजा/अजजा)</b>	08 वर्ष
16	सशस्त्र सेना में अपनी कलर सेवा के अन्तिम वर्ष में सैन्य क्लर्क	45 वर्ष की आयु तक
17	सशस्त्र सेना में अपनी कलर सेवा के अन्तिम वर्ष में सैन्य क्लर्क <b>(अजा/अजजा)</b>	50 वर्ष की आयु तक
18	भारत के महापंजीयक के कार्यालय के छोटे गए जनगणना कर्मचारी (उन पर उनके योग्यता क्रम और रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर भारत के महापंजीयक के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों के लिए ही विचार किया जाएगा)	<b>3 वर्ष + छंटाई से पूर्व जनगणना के संबंध में उनके द्वारा दी गई सेवा की अवधि और पूर्व सेवा लाभ</b>

**5.4** ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' और 'घ' पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, वे उत्तरवर्ती नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि वे सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के बाद तुरन्त विभिन्न रिक्तियों जिसके लिए उसने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त, 2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-स्था(आर.) में यथा उल्लिखित प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले रिक्तियों के लिए आवेदन किया था, के आवेदनों का तिथि वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वतः घोषणा/करता है/करती है/वचन देता है/वचन देती है।

**5.5** सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

**5.6** आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि कदाचार या अक्षमता के कारण सेवा से बरखास्तगी या सेवामुक्ति जैसे को छोड़कर उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो और/अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह **आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि (अर्थात् 04.06.2018)** से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा।

**स्पष्टीकरण:** भूपूसै से **आशय** उस व्यक्ति से है-

- (i) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा
  - (क) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत्त हुआ हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हुए हों किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद; या
  - (ख) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या



- (ग) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या
- (ii) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, नामतः निरंतर मूर्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी ; अथवा
- (iii) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अक्षम होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन मिली हुई है; अथवा
- (iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; अथवा
- (v) प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ; अथवा
- (vi) भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

**5.7 भूपूसै के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है । अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए ।**

**5.8** मैट्रिक उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है ) जिसने **04.06.2018** को संघ की सशस्त्र सेनाओं में **कम से कम 15 वर्ष की** सेवा की हो, को इस परीक्षा के माध्यम से विज्ञापित किए जा रहे **समूह 'ग' पदों पर** नियुक्ति के लिए पात्र समझा जाएगा । अतः ऐसे गैर स्नातक भूपूसै, जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि (अर्थात् 04.06.2018) को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो अथवा पैरा 5.6 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं करेंगे इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं ।

### **5.9 प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप:**

जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने / अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त **अपेक्षित प्रमाणपत्र तब प्रस्तुत करना होगा, जब** इन प्रमाणपत्रों की संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा **कौशल परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के समय** मांग की जाए । अन्यथा अजा/अजजा/अपिव /शादि/ भूपूसै स्थिति के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता/ आवेदन पत्रों को **सामान्य (अना)** श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा । प्रमाणपत्रों के प्रारूप इस परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ संलग्न हैं । किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

**अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता/आती है । इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि, आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात् 04.06.2018 होगी । अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती ।**

अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/ अजजा/ अपिव/भूपूसै/शा.दि. (शा.दि.) दर्जे का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से उन्हें वारित किया जा सकता है ।

**5.10: अतिरिक्त समय का प्रावधान तथा प्रलिपिक की सहायता:** : दृष्टि दिव्यांग तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाएगा, इसके अलावा, वे अस्थि दिव्यांग अभ्यर्थी (प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के अलावा) जिन्हें गति विषयक दिव्यांगता (40 प्रतिशत अथवा अधिक) है, जिसमें मुख्य लेखन अग्रभाग इस हद तक प्रभावित है कि इससे अभ्यर्थी के कार्य करने की गति में कमी आ जाती है। (ऐसी कमी का उल्लेख अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए डाक्टरी प्रमाण-पत्र में हो।) ऐसे अभ्यर्थी भी परीक्षा में प्रलिपिक की सहायता ले सकते हैं और प्रति घंटा 20 मिनट के अतिरिक्त समय का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि यह अनुरोध आवेदन पत्र में किया गया हो। चालीस प्रतिशत से कम की दृष्टि दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति नहीं माना जाएगा । **एक आँख वाले** और आंशिक रूप से दृष्टिहीन **अभ्यर्थी** जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) के सामान्य प्रश्नपत्र पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना/दर्शाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी तथा वे किसी **प्रलिपिक की सेवाओं के हकदार नहीं होंगे** । ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में स्वयं अपना आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) लाना होगा।

**6. 01 अगस्त, 2018 को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता ।**

**i) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/ सहायक लेखा अधिकारी**

क) अनिवार्य योग्यताएं : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक डिग्री ।

ख) वांछनीय योग्यताएं : सनदी लेखाकार अथवा लागत एवं प्रबंधन लेखाकार अथवा कम्पनी सचिव अथवा वाणिज्य निष्णात अथवा व्यवसाय अध्ययन निष्णात अथवा व्यवसाय प्रशासन निष्णात(वित्त) अथवा व्यवसाय अर्थशास्त्र निष्णात ।

**टिप्पणी-।** सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी के रूप में स्थायीकरण और नियमित नियुक्ति के लिए, सीधी भर्ती किए गए अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान, अपनी-अपनी शाखाओं में " अधीनस्थ लेखा-परीक्षा सेवा परीक्षा" को उत्तीर्ण करना होगा।

**ii) कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी:** कक्षा 12 के स्तर पर गणित में कम से कम 60 प्रतिशत अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी विषय में स्नातक डिग्री ।

**अथवा**

किसी विषय में स्नातक डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर सांख्यिकी एक विषय के रूप में ली गई हो ।

**iii) अन्य सभी पद :**किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अथवा समतुल्य ।

iv) स्नातक डिग्री के अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, तथापि दिनांक 01 अगस्त, 2018 को अथवा उससे पूर्व उनके पास अनिवार्य योग्यता अवश्य होनी चाहिए।

**6.1 :** सहायक अनुभाग अधिकारी (के.स.से.), सहायक अनुभाग अधिकारी(विदेश मंत्रालय) और कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एस एफ आई ओ) में सहायक, खान मंत्रालय में सहायक

(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण) के पदों के लिए **अनिवार्य** योग्यता के रूप में कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा भी निर्धारित की गई है।

**6.2 :** भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई तकनीकी शिक्षा डिग्री/डिप्लोमा सहित समस्त डिप्लोमा/डिग्रियां/प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते, उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन हो।

**6.3 :** डाटा एंट्री कौशल परीक्षा/कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आयोग द्वारा अर्हता-प्राप्त घोषित सभी अभ्यर्थियों को 01 अगस्त, 2018 को अथवा उससे पूर्व यथा-निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने के प्रमाण के रूप में सभी संबद्ध मूल प्रमाण-पत्र जैसे स्नातक के सभी तीन वर्षों की अंक तालिकाएं/अंतिम प्रमाण पत्र /स्नातक के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। ऐसा न करने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। वह अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा।

## **7. आवेदन शुल्क और भुगतान का तरीका :**

- (i) देय शुल्क: 100/-रूपए (मात्र एक सौ रूपए)।
- (ii) शुल्क का भुगतान भा. स्टे. बैं. चालान/भा.स्टे. बैं. नेट बैंकिंग अथवा वीजा/मास्टर कार्ड/मएस्ट्रो क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (iii) महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है।
- (iv) शुल्क का भुगतान करने सहित ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा 05.05.2018 से 04.06.2018(1700बजे) तक उपलब्ध होगी। तथापि, वे अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, वे 07.06.2018 तक बैंक के कार्य-समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखाओं में भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय से पूर्व अर्थात् 04.06.2018(1700बजे) तक चालान तैयार कर लिया है।
- (v) निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे निरस्तीकरण के बारे में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार जमा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए इसे समायोजित किया जाएगा।

**टिप्पणी-1:** जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कचआ में जमा हो गया है। यदि कचआ द्वारा शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'Incomplete' दर्शाएगा तथा यह सूचना आवेदनपत्र के शीर्ष पर मुद्रित होगी। इसके अलावा इस स्थिति के बारे में <http://www.ssconline.nic.in> पर दिए गए टेब " Check Your Application Status Here" में जांच की जा सकती है। ऐसे आवेदन जिनकी स्थिति शुल्क भुगतान प्राप्त न होने के

कारण, अभी भी अपूर्ण है, को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा के विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों के शुल्क भुगतान के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।

## 8. परीक्षा केन्द्र

अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में वह केन्द्र दर्शाना होगा जिसमें वह परीक्षा देने का इच्छुक है । परीक्षा केन्द्रों के ब्यौरे तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम, जिनके क्षेत्राधिकार में ये परीक्षा केन्द्र स्थित हैं, का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	परीक्षा केन्द्र और केन्द्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग क्षेत्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य/संघ शासित राज्य	क्षेत्रीय कार्यालय का पता/वेबसाइट
1.	आगरा(3001), इलाहाबाद (3003), बरेली(3005), गोरखपुर(3007), कानपुर(3009), लखनऊ (3010), मेरठ(3011), वाराणसी(3013), भागलपुर(3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना(3206),	मध्य क्षेत्र(म.क्षे.)/ बिहार और उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक(म.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 21-23 लाउदर रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211002 <a href="http://www.ssc-cr.org">http://www.ssc-cr.org</a>
2.	गंगटोक(4001), रांची(4205), बारासात, (4402), बरहामपुर (प.बं.) (4403), चिनसुरा(4405), जलपाईगुड़ी (4408), कोलकाता(4410), मालदा (4412), मिदनापुर(4413), सिलीगुड़ी, (4415), बरहामपुर(ओडिशा ) (4602), भुवनेश्वर(4604), कटक(4605), क्योञ्जारगढ़, (4606), संबलपुर(4609), पोर्ट ब्लेयर (4802),	पूर्वी क्षेत्र(पू.क्षे.)/ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखण्ड, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय निदेशक(पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ भवन, (आठवां तल), 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020 <a href="http://www.sscer.org">www.sscer.org</a>
3.	बंगलोर(9001), धारवाड़(9004), गुलबर्गा(9005), मंगलोर(9008), मैसूर (9009), कोची(9204), कोझीकोड (कालीकट) (9206) तिरुवनन्तपुरम(9211), त्रिसूर(9212),	केरल, कर्नाटक क्षेत्र(के.क.क्षे.)/ लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल	क्षेत्रीय निदेशक(के.क.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, पहली मंजिल, "ई" विंग, केंद्रीय सदन, कोरमंगला, बंगलोर, कर्नाटक-560034 <a href="http://www.ssckkr.kar.nic.in">www.ssckkr.kar.nic.in</a>
4.	भोपाल(6001), छिंदवाड़ा(6003), गुना(6004), ग्वालियर(6005) इंदौर(6006), जबलपुर(6007), खण्डवा(6009), रतलाम(6011), सतना (6014), सागर (6015), अम्बिकापुर(6201), बिलासपुर (6202), जगदलपुर (6203), रायपुर(6204),), दुर्ग (6205),	मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र(म.प्र.क्षे.)/ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	उप-निदेशक(म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, जे-5, अनुपम नगर, रायपुर छत्तीसगढ़-492007 <a href="http://www.sscmpr.org">www.sscmpr.org</a>
5.	ईटानगर(5001), डिब्रूगढ़(5102), गुवाहाटी(दिसपुर)(5105), जोरहाट(5107), सिलचर(5111), कोहिमा(5302), शिलांग(5401), इम्फाल(5501), चूड़ाचाँदपुर (5502), उखरूल(5503) अगरतला(5601) आइजोल(5701),	पूर्वोत्तर क्षेत्र(पूर्वो.क्षे.)/ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा	क्षेत्रीय निदेशक(पूर्वो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाऊसफेड कमप्लेक्स, लास्ट गेट, बशिष्ठ रोड, डाकघर असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 <a href="http://www.sscner.org.in">www.sscner.org.in</a>

6.	अलमोड़ा(2001), देहरादून(2002), हलद्वानी(2003), श्रीनगर(उत्तराखण्ड) (2004), हरिद्वार (2005), दिल्ली(2201), अजमेर(2401), अलवर (2402), भरतपुर(2403), बीकानेर(2404), जयपुर(2405), जोधपुर(2406), कोटा(2407) श्रीगंगानगर(2408), उदयपुर(2409),	<b>उत्तरी क्षेत्र(उ.क्षे.)/</b> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखण्ड	क्षेत्रीय निदेशक(उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लाक सं.12,सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 <b>(www.sscnr.net.in)</b>
7.	अनन्तनाग (1001), बारामूला(1002), जम्मू(1004), लेह(1005), राजौरी(1006), श्रीनगर(ज.एवं क.)(1007), कारगिल(1008), डोडा(1009), हमीरपुर(1202), शिमला(1203), भटिण्डा(1401), जालंधर (1402), पटियाला(1403), अमृतसर (1404), चण्डीगढ़(1601)	<b>पश्चिमोत्तर उप क्षेत्र (पश्चिमो.क्षे.)/</b> चण्डीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब	उप-निदेशक(पश्चिमो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लाक सं.-3,भूतल, केंद्रीय सदन, सैक्टर-9, चण्डीगढ़-160009 <b>(www.sscnwr.org)</b>
8.	गुंटूर(8001), कर्नूल(8003), राजमुंदरी(8004), तिरुपति(8006), विशाखापट्टनम(8007), विजयवाड़ा (8008), चेन्नई(8201), कोयम्बटूर(8202), मदुरै(8204), तिरुचिरापल्ली(8206), तिरुनेलवेली(8207), पुडुचेरी(8401), हैदराबाद (8601), निजामाबाद(8602), वारंगल(8603)	<b>दक्षिणी क्षेत्र(द.क्षे.)/</b> आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना	क्षेत्रीय निदेशक(द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, दूसरा तल, ई.वी.के. संपत बिल्डिंग, डीपीआई कैम्पस, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु-600 006 <b>(www.sscsr.gov.in)</b>
9.	अहमदाबाद(7001), वदोदरा (7002), राजकोट (7006), सूरत(7007), भावनगर (7009), कच्छ (7010), अमरावती (7201), औरंगाबाद (7202), कोल्हापुर(7203), मुम्बई(7204), नागपुर(7205), नांदेड़ (7206), नासिक (7207), पुणे (7208), ठाणे (7210), भण्डारा (7211), चन्द्रपुर (7212), अकोला (7213), जलगांव (7214), अहमदनगर (7215), अलीबाग (7216), पणजी(7801),	<b>पश्चिमी क्षेत्र(प.क्षे.)/</b> दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक(प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल,दक्षिण विंग,प्रतिष्ठा भवन, 101,महर्षि कर्वे रोड, मुम्बई, महाराष्ट्र-400020 <b>(www.sscwr.net)</b>

**8 (i) :** कोई भी अभ्यर्थी तीन वरीयता क्रम में उसी क्षेत्र के भीतर केंद्रों के लिए विकल्प दे सकता है। इसके पश्चात किसी भी परिस्थिति में केंद्र के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को केंद्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदनों में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए।

**8 (ii) :** आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंद्रों में उन्हें समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग को स्व:विवेक से व्यवहार्यता के आधार पर किसी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और/या कोई अन्य केंद्र जोड़ने, अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंद्र से अलग कोई अन्य केंद्र नियत करने का अधिकार है।

## 9. परीक्षा की रूपरेखा

परीक्षा चार स्तरों में आयोजित की जाएगी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :-

टियर-1

- कम्प्यूटर आधारित परीक्षा

टियर-II	-	कम्प्यूटर आधारित परीक्षा
टियर-III	-	लिखित परीक्षा (वर्णनात्मक प्रश्नपत्र)
टियर-IV	-	कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा/कौशल परीक्षा (जहां कहीं लागू हो)/दस्तावेज सत्यापन

9.1 आयोग को परीक्षा की रूपरेखा में परिवर्तन करने का अधिकार है।

9.2 यदि टियर-I और टियर-II परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित की गयी है तो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को सामान्यीकृत किया जाएगा और इस प्रकार सामान्यीकृत किए गए अंकों को अंतिम माना जाएगा तथा परीक्षा के अगले चरण में अभ्यर्थियों की अर्हता के लिए तथा उन्हें अंतिम मेरिट निर्धारित करने के लिए उसका प्रयुक्त किया जाएगा।

### 9.3 टियर-I और टियर-II परीक्षाओं की रूपरेखा:

टियर	परीक्षा की रूपरेखा	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अनुमत्य समय
I	क. सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति	25	50	60 मिनट (कुल)  दृ.दि./अ.दि. (प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात/लेखन हस्त विरूपता से पीड़ित : नोटिस का पैरा 5.10 देखें ) अभ्यर्थियों के लिए 80 मिनट
	ख. सामान्य जानकारी	25	50	
	ग. परिमाणात्मक अभिरूचि	25	50	
	घ. अंग्रेजी परिज्ञान	25	50	
II	पेपर-I. परिमाणात्मक क्षमता	100	200	120 मिनट (प्रत्येक पेपर के लिए)  दृ.दि./अ.दि. (प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात/लेखन हस्त विरूपता से पीड़ित: नोटिस का पैरा 5.10 देखें ) अभ्यर्थियों के लिए 160 मिनट
	पेपर-II. अंग्रेजी भाषा तथा परिज्ञान	200	200	
	पेपर-III. सांख्यिकीय	100	200	
	पेपर-IV. सामान्य अध्ययन(वित्त तथा अर्थशास्त्र)	100	200	

नोट-I: टियर -I में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे।

नोट-II: टियर -II में, प्रश्नपत्र -II (अंग्रेजी भाषा तथा परिज्ञान) में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे तथा टियर- II के प्रश्नपत्र-I, प्रश्नपत्र-III तथा प्रश्नपत्र IV में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे।

नोट-III: टियर-II में, पेपर-I और पेपर-II सभी पदों के लिए अनिवार्य हैं।

नोट-IV: टियर-II में, पेपर-III केवल उन अभ्यर्थियों के लिए होगा जो कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी (जेएसओ) के लिए आवेदन करते हैं और जिन्हें इस पद/पेपर के लिए शार्टलिस्ट किया जाता है।

नोट- V : टियर-II में, पेपर- IV केवल उन अभ्यर्थियों के लिए होगा जो पेपर- IV अर्थात सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी पदों के लिए टियर-I में शार्टलिस्ट किए जाएंगे।

#### 9.4 टियर-III परीक्षा की रूपरेखा:

टियर	परीक्षा का माध्यम	परीक्षा की रूपरेखा	अधिकतम अंक	अनुमत्य समय
III	लिखित मोड	अंग्रेजी/हिन्दी में वर्णनात्मक प्रश्नपत्र (निबंध/सार/पत्र/आवेदन पत्र आदि लिखना)	100	60 मिनट (कुल)  दृ.दि./अ.दि. (प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात/लेखन हस्त विरूपता से पीड़ित : नोटिस का पैरा 5.10 देखें ) अभ्यर्थियों के लिए 80 मिनट

परीक्षा की विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा/कौशल परीक्षा (जहां लागू हो)/दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी।

#### निश्चयार्थ पाठ्यक्रम

##### 9.5.1 परीक्षा का टियर-I

**(क) सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति :** इसमें शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग, विवरण निष्कर्ष, न्यायबद्ध तर्क आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इसमें विषय हैं: सीमेंटिक समानता, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी समानता, आंकड़े संबंधी समानता, सीमेंटिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी वर्गीकरण, आंकड़े संबंधी वर्गीकरण, सीमेंटिक क्रम, अंक क्रम, आंकड़े संबंधी क्रम,समस्या समाधान, शब्द निर्माण, कोडिंग व डिकोडिंग, संख्यात्मक संक्रिया, प्रतीकात्मक संक्रिया, उपनति, अन्तराल अभिविन्यास, अन्तराल विज्यूलाइजेशन, वेन डाइग्राम, रेखाचित्र अनुमिति, पंच होल/पैटर्न-फोल्डिंग व अनफोल्डिंग, आकृति पैटर्न-फोल्डिंग एवं पूर्ण करना, सूचीकरण, पता मिलान, तिथि व शहर मिलान, केन्द्र कोड/ अनुक्रमांक का वर्गीकरण, छोटे व बड़े अक्षर/ अंक कोडिंग/डिकोडिंग व वर्गीकरण, अंतः स्थापित आंकड़े, आलोचनात्मक विवेचन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता तथा यदि हों, तो अन्य उप विषय।

**(ख) सामान्य जानकारी :** इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य नीति, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।

**(ग) परिमाणात्मक अभिरूचि :** इन प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपयुक्त प्रयोग और संख्या के बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा। इन प्रश्नों के दायरे में पूर्णांक संख्याएं अभिकलन, दशमलव, खण्ड

और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भाग फल और अनुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज,लाभ एवं हानि,बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं सहसंबंधन, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी के बीजगणितीय ज्ञान, रेखीय समीकरणों के ग्राफ,त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र, त्रिकोणों की समरूपता और समानता, वृत्त और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत्त की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चतुर्भुज, समभुज कोणीय बहुभुज, वृत्त, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकार समान्तरषटफलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीय सम पैरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री और रेडियन माप, मानक सहरूप्यता, अनुपूरक कोण, ऊचाई और दूरी, हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट आएंगे ।

**(घ) अंग्रेजी परिज्ञान:** इसमें अभ्यर्थियों की अंग्रेजी भाषा की समझ, उसके सही प्रयोग, उसके लेखन की योग्यता और परिज्ञान को जाँचा जाएगा ।

क,ख, और घ भागों के प्रश्नों का स्तर पद के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यता अर्थात स्नातक की डिग्री के अनुरूप होगा तथा भाग के प्रश्न 10वीं कक्षा स्तर के होंगे ।

### 9.5.2: परीक्षा के टियर-II के लिए निश्चयार्थ पाठ्यक्रम:

**पेपर-I (परिमाणात्मक क्षमता) :** इन प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपयुक्त प्रयोग और संख्या के बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा । इन प्रश्नों के दायरे में पूर्णांक संख्याएं अभिकलन,दशमलव , खण्ड और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भाग फल और अनुपात, वर्गमूल,औसत, ब्याज,लाभ एवं हानि,बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं सहसंबंधन, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी के बीजगणितीय ज्ञान, रेखीय समीकरणों के ग्राफ,त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र,त्रिकोणों की समरूपता और समानता, वृत्त और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत्त की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चतुर्भुज, समभुज कोणीय बहुभुज , वृत्त, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकार समान्तरषटफलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीय सम पैरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात,डिग्री और रेडियन माप, मानक सहरूप्यता, अनुपूरक कोण, ऊचाई और दूरी, हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट आएंगे ।

**पेपर-II (अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान):** इस घटक में अभ्यर्थी के अंग्रेजी भाषा की समझ और जानकारी की जाँच के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे जो कि गलती की पहचान, रिक्त स्थानों की पूर्ति, समानार्थक,विलोमार्थक,वर्तनी/अशुद्ध शब्दों की पहचान, मुहावरे और वाक्यांश, वाक्यांश के लिए एक शब्द,वाक्यों का सुधार, क्रियाओं की कृतवाच्य/कर्मवाच्य, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष वर्णन का परिवर्तन, परिच्छेद में वाक्य के भागों का परिवर्तन, निकट परिच्छेद और परिज्ञान परिच्छेद में वाक्यों का परिवर्तन आदि से संबंधित होंगे ।

### प्रश्नपत्र - III (सांख्यिकी):

**सांख्यिकी डाटा का संकलन, वर्गीकरण और प्रस्तुतीकरण-** प्राथमिक और सैंकडरी डाटा, डाटा संकलन की पद्धतियां, डाटा को सारणीबद्ध करना, ग्राफ और चार्ट, आवृत्ति संवितरण, आवृत्ति संवितरणों की आरेखीय प्रस्तुति ।



**केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप** - केन्द्रीय प्रवृत्ति की सार्व माप - माध्य,माध्यिक, बहुलक; विभाजन मूल्य-चतुर्थक,दशमक, शतम

**विक्षेपण का माप** - परिक्षेपण का सार्व माप-रेंजे, चतुर्थक अपसरण, माध्य अपसरण तथा मानक अपसरण; साक्षेप विक्षेपण के माप

**घूर्ण,स्क्यूनेस व करटोसिस** - विभिन्न प्रकार के घूर्ण व उनके संबंध; स्क्यूनेस व करटोसिस का अर्थ ; स्क्यूनेस व करटोसिस के विभिन्न माप

**सहसंबंध एवं प्रतिक्रमण** - प्रसार आरेख, सामान्य सहसंबंध गुणांक, सामान्य प्रतिक्रमण रेखाएं ; स्पीयरमैन का श्रेणी सहसंबंध, आरोपण के संगुणन की माप; बहुविध प्रतिक्रमण; बहुविध व आंशिक सहसम्बद्ध ( केवल तीन परिवर्ती हेतु) ।

**संभाव्यता सिद्धांत** - संभाव्यता का अर्थ; संभाव्यता की विभिन्न परिभाषाए; प्रतिबंधित संभाव्यता; संयुक्त संभाव्यता; स्वतंत्र विषय; बेयस का प्रमेय ।

**यादृच्छिक चर एवं संभाव्यता विभाजन** - यादृच्छिक चर; संभाव्यता फलन, यादृच्छिक चर की प्रत्याशा व प्रसरण; यादृच्छिक चर का उच्चतर घूर्ण; द्विपद , पोयजन, सामान्य और घातांकी विभाजन; दो यादृच्छिक चरों का संयुक्त विभाजन (पृथक)

**प्रतिदर्श सिद्धान्त** - जनसंख्या एवं प्रतिदर्श की अवधारणा ; प्राचल एवं सांख्यिकी, प्रतिदर्श एवं गैर प्रतिदर्श त्रुटियां; संभाव्यता एवं गैर संभाव्यता प्रतिदर्श तकनीक (सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन, स्ट्रेटिफाइड प्रतिदर्श, बहुचरण प्रतिदर्श, बहुपक्ष प्रतिदर्श, समूह प्रतिदर्श, क्रमबद्ध प्रतिचयन, सप्रयोजक प्रतिदर्श, सुविधा प्रतिदर्श, यथांश प्रतिदर्श); प्रतिदर्श विभाजन (केवल विवरण); प्रतिदर्श आकार निर्णय ।

**सांख्यिकीय अनुमान** - बिंदु आकलन व मध्यान्तर आकलन, अच्छे आकलक के गुणधर्म, आकलन की पद्धति (घूर्ण पद्धति, अधिकतम संभाविता पद्धति, लघुतम वर्ग पद्धति ), परिकल्पना का परीक्षण, परीक्षण की मूल अवधारणा, लघु प्रतिदर्श और विस्तृत प्रतिदर्श परीक्षण, Z, t, Chi-square तथा F सांख्यिकी पर आधारित परीक्षण, निश्चयी अनुमान ।

**प्रसरण विश्लेषण** - एक तरफा वर्गीकृत आँकड़ों व दो तरफा वर्गीकृत आँकड़ों का विश्लेषण ।

**समय श्रृंखला विश्लेषण** - समय श्रृंखला के घटक, विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से प्रवणता घटक का निर्धारण, विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से आवर्तक अपक्रम का माप ।

**सूचकांक** - सूचकांक का अर्थ, सूचकांक के निर्माण में समस्या, सूचकांक के प्रकार, विभिन्न सूत्र, सूचकांक का मूल विचलन व जोड़, निर्वाह-व्यय सूचकांक, सूचकांक के प्रयोग ।

**प्रश्नपत्र-IV (सामान्य अध्ययन-वित्त एवं अर्थशास्त्र):**

**भाग-क: वित्त एवं लेखा(80 अंक)**

लेखाशास्त्र के आधारभूत सिद्धांत और मूल अवधारणा

वित्तीय लेखाशास्त्र : प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र, वित्तीय लेखाशास्त्र की परिसीमाएं, मूल अवधारणाएं एवं परम्पराएं, सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांत ।

लेखाशास्त्र की मूल अवधारणाएं, एकल एवं दोहरा लेखा, मूल लेखा की बहियां, बैंक समाधान, रोजनामचा, खाता बही कच्चा चिट्ठा, त्रुटियों का परिशोधन, विनिर्माण, व्यापार करना, लाभ एवं हानि, विनियोजन लेखा, तुलनपत्र, पूँजीगत व्यय और राजस्व खर्च में भिन्नता, मूल्यहास लेखाकरण, सम्पत्ति सूची का मूल्यांकन, लाभ निरपेक्ष संगठन लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान तथा आय एवं व्यय लेखा, विनिमय पत्र, स्वतः संतुलन लेखा बहियां ।

### **भाग-ख: अर्थशास्त्र और अभिशासन-(120 अंक)**

1. **भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक-सांविधानिक प्रावधान, भूमिका और उत्तरदायित्व ।**

2. **वित्त आयोग- भूमिका एवं कार्य**

3. **अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं तथा सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में परिचय**

परिभाषा, अर्थशास्त्र का कार्यक्षेत्र तथा प्रकृति, अर्थशास्त्र अध्ययन की पद्धतियां तथा अर्थव्यवस्था और उत्पादन सम्भावना वक्र की केन्द्रीय समस्याएं

4. **मांग और पूर्ति का सिद्धांत**

मांग का अर्थ और निर्धारक तत्व, मांग का सिद्धांत और मांग की लोच, मूल्य, आय एवं तिर्यक लोच; उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत- मार्शलियन प्रस्ताव तथा अनधिमान वक्र प्रस्ताव, पूर्ति का अर्थ और निर्धारक तत्व, पूर्ति का सिद्धांत और पूर्ति की लोच ।

6. **उत्पादन और लागत का सिद्धांत**

उत्पादन का अर्थ और कारक; उत्पादन के सिद्धांत- परिवर्तनीय समानुपातों के सिद्धांत एवं अनुमाप प्रतिवर्तन के सिद्धांत ।

7. **बाजार के प्रकार और विभिन्न बाजारों में मूल्य निर्धारण**

बाजारों के विभिन्न प्रकार- आदर्श प्रतिस्पर्द्धा, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्द्धा और अल्पाधिकार तथा इन बाजारों में मूल्य निर्धारण ।

8. **भारतीय अर्थव्यवस्था**

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति, विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका- कृषि, उद्योग और सेवाओं की भूमिका- उनकी समस्याएं और विकास ।

भारत की राष्ट्रीय आय- राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय का मापन करने की विभिन्न पद्धतियां ।

जनसंख्या- इसका आकार, वृद्धि की दर और आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव ।

गरीबी तथा बेरोजगारी-निरपेक्ष एवं सापेक्ष गरीबी, प्रकार, बेरोजगारी के कारण और प्रभाव

आधारिक संरचना- ऊर्जा, परिवहन, संचार

9. **भारत में आर्थिक सुधार**

1991 से आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, सार्वभौमीकरण और विनिवेश

## 10. धन तथा बैंकिंग

मौद्रिक/राजकोषीय नीति, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका तथा कार्य, व्यापारिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/भुगतान बैंकों के कार्य ।

बजट तथा राजकोषीय घाटा और भुगतानों का संतुलन

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003

## 11. अभिशासन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका

**टिप्पणी-I:** प्रश्नपत्र-I में प्रश्न 10वीं कक्षा स्तर के, प्रश्नपत्र-II के 10+2 स्तर के और प्रश्नपत्र-III तथा प्रश्नपत्र-IV के स्नातक स्तर के होंगे ।

**टिप्पणी-II :** इस परीक्षा की उत्तर कुंजी (KEY) के संबंध में किसी अभ्यावेदन के बारे में जहां आवश्यक होगा, विशेषज्ञों की सहायता से परीक्षण किया जायेगा और ऐसी स्थिति में उस मामले के संदर्भ में मूल्यांकन संशोधित उत्तर-कुंजी (ANSWER KEY) से किया जाएगा । इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा और तत्पश्चात किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

### 9.6 कौशल परीक्षा :

**9.6.1 डाटा एन्ट्री गति परीक्षा(डीईएसटी): कर सहायकों (केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं आयकर) के पदों के लिए:** कम्प्यूटर पर प्रति घण्टा 8,000(आठ हजार) की-डिप्रेशन की डाटा एन्ट्री गति परीक्षा(डीईएसटी)

15(पन्द्रह) मिनटों की अवधि की 2000(दो हजार) की-डिप्रेशन "डाटा एन्ट्री गति" कौशल परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी । इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित परीक्षा केन्द्र/स्थान पर आयोग द्वारा कंप्यूटर प्रदान किया जाएगा । कौशल परीक्षा का आयोजन आयोग द्वारा यथा निर्णीत आयोग के क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों अथवा अन्य केन्द्रों में किया जायेगा। अर्हक घोषित पात्र अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आयोग के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कौशल परीक्षा संबंधी विस्तृत अनुदेश भेजे जाएंगे। टंकण परीक्षा/डीईएसटी के मूल्यांकन के बारे में सूचना आयोग की वेबसाइट [www.ssc.nic.in](http://www.ssc.nic.in) (candidate's corner) पर उपलब्ध है।

उक्त प्रयोजनार्थ कौशल परीक्षा आयोग द्वारा यथा-निर्णीत विधि से आयोजित की जाएगी।

**नोट-I:** के.प्र.क.बो में कर सहायक पद का विकल्प देने वाले अस्थि दिव्यांग अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा में भाग लेने से छूट दी गई है । तथापि, के.उ.श.सी.शु.बो. में कर सहायक पद का विकल्प देने वाले अ.वि. अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा से छूट नहीं है । श्र.दि. और दृ.दि. अभ्यर्थी कौशल परीक्षा से छूट के लिए पात्र नहीं हैं ।

**नोट-II:** दृ.दि.अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा के समान डीईएसटी में 5 (पांच) मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जायेगा। केवल उन्हीं दृ.दि. अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा म परीक्षा के समय पद्यांश वाचक दिये जायेंगे जिन्होंने कौशल परीक्षा में प्रलिपिक का विकल्प दिया है।

9.6.2: **कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी):** आयोग के.स.से. के सहायक अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी (विदेश मंत्रालय) तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (ग.क.अ.का) में सहायक और खान मंत्रालय में सहायक (भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण) के पदों के लिए कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) का आयोजन करेगा जिसमें तीन मोड्यूल अर्थात्- (i) वर्ड प्रोसेसिंग, (ii) स्प्रेड शीट और (iii) स्लाइडें तैयार करना शामिल किया जाएंगे। उक्त प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा का आयोजन यथा निर्धारित रूप में किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों की किसी भी श्रेणी को छूट प्राप्त नहीं है। कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी।

कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा में बैठने के लिए अर्हक घोषित पात्र अभ्यर्थियों को कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा संबंधी विस्तृत अनुदेश आयोग के क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भेजे जाएंगे।

## 10. दस्तावेज सत्यापन :

दस्तावेज सत्यापन हेतु अर्हक सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। **जो अभ्यर्थी ऐसा नहीं करेंगे, अन्तिम चयन हेतु उनके नाम पर विचार नहीं किया जायेगा।** अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता, जाति प्रमाण-पत्र और यदि कोई छूट ली गयी हो तो संगत दस्तावेज आदि जैसे विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को अपने सभी दस्तावेज सत्यापन हेतु मूल रूप में जमा करने होंगे। आवश्यक दस्तावेजों के बारे में सूचना दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने के समय दी जाएगी। पदों के लिए विस्तृत विकल्प या तो ऑनलाइन या फिर दस्तावेज सत्यापन के समय लिया जाएगा।

## 11.1 निरीक्षक(केंद्रीय उत्पाद शुल्क/परीक्षक/निवारक अधिकारी) सीबीएन में निरीक्षक और उप-निरीक्षक के पदों के लिए शारीरिक मापदण्ड

### पुरुष अभ्यर्थी :

#### (i) शारीरिक मापदंड

लंबाई: 157.5 सें.मी. सीना: 81 से.मी. (पूरी तरह फुलाने पर न्यूनतम 5 सें.मी. के फुलाव सहित)	गढ़वालियों, असमियों, गोरखों और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के मामले में लंबाई में 5 सें.मी. तक की छूट।
--	---

#### (ii) शारीरिक परीक्षा

पैदल चलना	:	15 मिनट में 1600 मीटर
साइकिल चलाना	:	30 मिनट में 8 कि.मी.

### महिला अभ्यर्थी

#### (i) शारीरिक मापदंड(न्यूनतम)

लंबाई: 152 सें.मी. भार : 48 कि.ग्रा.	गोरखों, गढ़वालियों, असमियों और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए लंबाई में 2.5 सें.मी. तक और भार में 2 कि.ग्रा. तक की छूट।
---	--

(ii) **शारीरिक परीक्षा**

पैदल चलना	:	20 मिनट में 1 कि.मी.
साइकिल चलाना	:	25 मिनट में 3 कि.मी.

**टिप्पणी** :- निरीक्षक (केंद्रीय उत्पाद शुल्क, परीक्षक और निवारक अधिकारी) के पद के लिए निशक्त व्यक्तियों को संबंधित पदों के लिए निर्धारित शारीरिक मानदंड, जैसे- लम्बाई, सीना एवं वजन पूरा करने होंगे। तथापि, अस्थि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक परीक्षा में निम्नलिखित छूट की अनुमति दी गयी है :-

(क.) एक पैर और एक बांह व एक पैर की श्रेणियों के मामले में पैदल चलने की परीक्षा पर बल नहीं दिया जाएगा।

(ख.) एक बांह, एक पैर व एक बांह तथा एक पैर की श्रेणियों के मामले में साइकिल चलाने संबंधी परीक्षा पर बल नहीं दिया जाएगा।

**11.2 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में उप-निरीक्षक के पद के लिए शारीरिक मापदंड**

**क) लंबाई :**

पुरुषों के लिए	:	165 सें.मी.
महिलाओं के लिए:	:	150 सें.मी.

पहाड़ियों और जनजातियों के लिए लंबाई में छूट : 5 सें. मी.

**ख) सीना :**

फुलाने पर 76 सें.मी.(महिला अभ्यर्थियों के मामले में इसकी आवश्यकता नहीं है )

**ग) दृष्टि:**

आंखों की दृष्टि	:	(चश्मा लगाकर या बिना चश्मा लगाए हुए)
दूर की दृष्टि	:	एक आंख में 6/6 तथा दूसरी आंख में 6/9
निकट की दृष्टि	:	एक आंख में 0.6 तथा दूसरी आंख में 0.8

**11.3: राष्ट्रीय जांच अभिरक्षण में उपनिरीक्षक के पद हेतु शारीरिक मापदण्ड:**

**क) लंबाई :**

पुरुषों के लिए	:	170 सें.मी.
महिलाओं के लिए:	:	150 सें.मी.

पहाड़ियों और जनजातियों के लिए लंबाई में छूट : 5 सें. मी.

**ख) सीना :**

फुलाने पर 76 सें.मी.(महिला अभ्यर्थियों के मामले में इसकी आवश्यकता नहीं है )

**ग) दृष्टि:**

आंखों की दृष्टि	:	(चश्मा लगाकर या बिना चश्मा लगाए हुए)
दूर की दृष्टि	:	एक आंख में 6/6 तथा दूसरी आंख में 6/9
निकट की दृष्टि	:	एक आंख में 0.6 तथा दूसरी आंख में 0.8

**टिप्पणी :** अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पदों की किसी श्रेणी का विकल्प देने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे उस श्रेणी की अपेक्षाएं पूरी करते हैं। अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक माप (दृष्टि परीक्षण सहित) का आयोजन संबंधित मांगकर्ता विभागों द्वारा किया जाएगा और सिर्फ वे अभ्यर्थी संबंधित पदों के लिए पात्र होंगे जो विनिर्दिष्ट शारीरिक मापदण्डों को पूरा करते हैं। यदि नामित अभ्यर्थी शारीरिक अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाते तो आयोग द्वारा किसी अन्य सेवा/पदों की श्रेणी के आबंटन संबंधी अभ्यर्थी के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, पात्रता संबंधी मापदण्ड को पूरा करने का दायित्व पूर्णतः ऐसे पदों के लिए विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों पर ही होगा।

## 12. कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा अनुपालन हेतु सामान्य अनुदेश

अभ्यर्थियों को स्वयं अपने हाथ से प्रश्नपत्र लिखने/उत्तर दर्शाने होंगे।

प्रश्न पत्रों में, जहां कहीं भी आवश्यक होगा, भार और माप की केवल मीट्रिक प्रणालियों का ही उपयोग किया जाएगा

अभ्यर्थियों को मोबाइल फोन, कैल्क्यूलेटर और अन्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। इसलिए इन्हें परीक्षा परिसर/स्थल के अन्दर नहीं लाना चाहिए।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास चालू अथवा बंद स्थिति में मोबाइल फोन अथवा वेतार संचार का कोई अन्य माध्यम पाया जाता है तो उसकी अभ्यर्थिता उसी क्षण निरस्त कर दी जाएगी। सके खिलाफ आयोग की नीति के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में किन्हीं अनुचित साधनों का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है जिससे अगली परीक्षाओं में भाग लेने के लिए अपात्र हो जाएंगे तथा आयोग की भविष्य की परीक्षाओं से वारित करने के साथ-साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

## 13. चयन का तरीका:

**13.1** उन सभी अभ्यर्थियों को टियर-1 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिनके आनलाइन आवेदन सही पाए जाते हैं। टियर-1 में और साथ ही, सभी उत्तरवर्ती टियरों/स्तरों में परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। परीक्षा के सभी स्तरों के लिए प्रवेश-पत्र आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को नियमित रूप से आयोग मुख्यालय की वेबसाइट (अर्थात् [www.ssc.nic.in](http://www.ssc.nic.in)) और आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात् उन क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटें जिनके न्यायक्षेत्र के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए परीक्षा केंद्र स्थित हैं (विवरण पैरा-8 पर), देखने की सलाह दी जाती है।

**13.2** टियर-1 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर, अभ्यर्थियों को श्रेणी-वार टियर-1 परीक्षा में बैठने के लिए शार्ट-लिस्ट किया जाएगा। आयोग पेपर-1।। (अर्थात् कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी के पद के लिए), पेपर-IV (अर्थात् सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी के पद के लिए) और पेपर-1 तथा पेपर-1। (सभी पदों के लिए) अलग-अलग कट-ऑफ निर्धारित कर सकता है। आयोग को स्व:विवेक से टियर-1 परीक्षा के प्रत्येक घटक में न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित करने का अधिकार होगा।

13.3 अभ्यर्थियों को टियर-I और टियर-II में उनके समग्र कार्य निष्पादन के आधार पर टियर-III (वर्णनात्मक पेपर) देने के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। आयोग टियर-II के प्रत्येक पेपर में न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।

13.4 जो अभ्यर्थी टियर-III आयोग द्वारा यथा-निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करते हैं, वे कौशल परीक्षा देने और दस्तावेज सत्यापन के लिए पात्र होंगे। टियर-I और टियर-II और टियर-III में समग्र कार्य निष्पादन के आधार पर अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और कौशल परीक्षा अर्थात् कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) व डाटा एंट्री कौशल परीक्षा (डीईएसटी) के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। कौशल परीक्षाएं अर्हक प्रकृति की हैं। यदि कोई अभ्यर्थी कौशल परीक्षा नहीं देता है या कौशल परीक्षा में असफल हो जाता है, तो वह उन पदों के लिए पात्र नहीं होगा जिनके लिए सीपीटी/डीईएसटी अनिवार्य हैं।

13.5 अभ्यर्थियों से पदों की वरीयता के लिए विकल्प ऑनलाइन अथवा दस्तावेज के सत्यापन के समय ले लिया जाएगा।

13.6 अभ्यर्थियों के टियर-I, टियर-II और टियर-III परीक्षा में समग्र कार्यनिष्पादन के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। प्रत्येक श्रेणी में अंतिम चयन टियर-I, टियर-II और टियर-III परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों और उनके द्वारा दी गई पद वरीयता के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा एक बार उसकी प्रथम उपलब्ध वरीयता दिए जाने के बाद उसके नाम पर अन्य विकल्पों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में वरीयता का चयन सावधानीपूर्वक करने की सलाह दी जाती है। अभ्यर्थियों द्वारा एक बार दिया गया विकल्प/वरीयता **अंतिम** माना जाएगा और अपरिवर्तनीय होगा। अभ्यर्थियों द्वारा आबंटन/सेवा के परिवर्तन किए जाने संबंधी बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर किन्हीं भी परिस्थितियों/कारणों से विचार नहीं किया जाएगा।

13.7 अजा, अजजा, अपिव और शा.दि. के अभ्यर्थी सहित जो अन्य समुदायों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अजा, अजजा, अपिव और शा.दि. अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति अथवा उनकी श्रेणी के लिए उद्दिष्ट दी गई रिक्तियों के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में उस पद से सहयोजित किया जाएगा, जो उनके लिए लाभप्रद है। आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, अपिव और शा.दि. श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

13.8 अजा, अजजा, अपिव, भूपूसे और शारीरिक विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, एक्सटेंडिड जोन ऑफ कंसीडरेशन आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, चाहे उसकी मेरिट स्थिति कुछ भी हो, को आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा, न कि सामान्य रिक्तियों में। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जा सकता है। जहां तक भू.पू.सै. के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भू.पू.सै. को आयु में कटौती करने की अनुमति है तथा

इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार, शा.दि. अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट को मानकों में छूट नहीं माना जाएगा।

13.9. शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति, जो स्वयं अपनी योग्यता के आधार पर चुना जाता है, को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि संगत श्रेणी के विकलांग व्यक्ति के लिए वह पद उपयुक्त पाया गया हो।

13.10. सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

13.11 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यक्षीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

#### 14. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा

अभ्यर्थियों के टियर-I+ टियर-II+ टियर-III में बराबर प्राप्तांकों के मामलों में मेरिट का निर्णय एक के बाद दूसरे तरीकों को, जब तक बराबरी का निपटारा नहीं हो जाता, को अपनाते हुए किया जाएगा:

- i) टियर-II परीक्षा के कुल अंकों को देखकर
- ii) टियर-III परीक्षा के कुल अंकों को देखकर
- iii) टियर-I परीक्षा के कुल अंकों को देखकर
- iv) जन्म-तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है।
- v) वर्णानुक्रम को देखकर जिसमें वर्णानुक्रम के अनुसार अभ्यर्थी का नाम पहले आए।

15. **आवेदन कैसे करें** : आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किए जाएं। आवेदन पत्र भरने से संबंधित विस्तृत अनुदेशों के लिए अनुबंध-II देखा जा सकता है।

#### 16. वरीयता:

यह परीक्षा विभिन्न योग्यताओं और अन्य अपेक्षाओं के साथ एक से अधिक पदों के लिए आयोजित की जा रही है। अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय या आयोग द्वारा ऑनलाइन मांगे जाने पर बड़ी सावधानीपूर्वक अपनी पद-वार वरीयता दर्शानी होगी। इस शर्त के अध्यक्षीन कि वह उस पद के लिए प्रथम दृष्टया: पात्र है, केवल उन्हीं पदों के लिए उसके नाम पर विचार किया जाएगा जिनके लिए उसने विकल्प दिया है। इस प्रकार दिए गए विकल्प अंतिम होंगे और इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि पदों के लिए वरीयता का विकल्प देते समय अत्यंत सावधानी बरतें। बीआरओ में प्र.श्रे.लि. के पद के लिए उच्चतर शारीरिक और चिकित्सा मानदंड रखे गए हैं, जैसा कि अनुलग्नक-X में अधिसूचित किया गया है। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि उक्त पद के लिए वरीयता देते समय यह सुनिश्चित कर लें कि वे इन अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।



## 17. परीक्षा में प्रवेश:

परीक्षा संबंधी प्रवेश-पत्र (प्र.प.)/प्रवेश प्रमाणपत्र, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। **परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे।** परीक्षा के बारे में सूचनाएं जिसमें परीक्षा की समय सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा का शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा। प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें।

## 18 . कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई :

अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें आवेदन भरते समय कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए अथवा कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छुपानी चाहिए। अभ्यर्थियों को यह चेतावनी भी जाती है कि उन्हें कोई हेर-फेर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए अथवा दस्तावेज में अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत सत्यापित प्रमाणित प्रति में कोई गलत प्रविष्टि नहीं करनी चाहिए न ही उन्हें नकली/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए। यदि उत्तर पत्रक भरने में कोई अशुद्धि अथवा कोई विसंगति पाई जाती है, तो उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के संबंध में उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई/वारित किए जाने के पूर्वाग्रह के बिना आयोग की परीक्षा से जहाँ भी आवश्यक होगा उनकी अभ्यर्थिता भर्ती के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी :

- (i) परीक्षा केन्द्र के परिसरों में मोबाइल फोन एवं अन्य सामग्री, ब्ल्यूटूथ उपकरण तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक गैजिट अपने पास रखने पर, चाहे इनका प्रयोग हो रहा है या बन्द हो।
- (ii) कदाचार में लिप्त पाए जाने पर।
- (iii) परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर
- (iv) किसी भी प्रकार से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त किया हो।
- (v) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराया हो।
- (vi) जाली दस्तावेज अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनमें हेर-फेर किया गया हो।
- (vii) गलत अथवा झूठे वक्तव्य दिए हैं, अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया है।
- (viii) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया हो।
- (ix) परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक, निरीक्षक अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया हो।
- (x) परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा भवन से उत्तर-पुस्तिका अपने साथ उठाकर ले गया हो या इसे परीक्षा के दौरान अप्राधिकृत व्यक्ति को दिया हो।
- (xi) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को परेशान किया हो या उन्हें शारीरिक क्षति पहुंचाई हो।
- (xii) भर्ती के किसी भी चरण में ऐसे किसी भी आधार पर जिसे आयोग अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण समझे अभ्यर्थिता रद्द भी की जा सकती है।

## 19. आयोग का निर्णय अंतिम :

पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा(ओं) के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, चयनित अभ्यर्थियों को पदों/संगठनों के चयन तथा आबंटन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

## 20. न्यायालय का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है।

21. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुँच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा. 39020/1/2016-स्था.(ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात् आयोग द्वारा आयोजित उक्त खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा: (i) अभ्यर्थी का नाम (ii) पिता/पति का नाम (iii) जन्म तिथि (iv) श्रेणी(सामान्य/अजा/अजजा/अपिव/शादि/अल्पसंख्यक) (v) अभ्यर्थी का लिंग (vi) शैक्षिक योग्यता (vii) अर्हक परीक्षा में प्राप्त कुल अंक (viii) रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यता का निर्धारण किया गया है। (ix) पूर्ण पता (x) ई-मेल तथापि अभ्यर्थियों के पास अपना आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त विवरण को सार्वजनिक न करने का विकल्प होगा। तदनुसार केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के अंक तथा रैंक आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, जिन्होंने उपरोक्त ब्यौरा प्रकट करने का विकल्प दिया है अथवा असावधानीवश अपना विकल्प नहीं दिया है।

## 22. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश :

- (i) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले।
- (ii) यह परीक्षा टियर-I तथा टियर-II(प्रश्न पत्र-I, प्रश्नपत्र-II, प्रश्न पत्र-III तथा प्रश्नपत्र-IV)के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, टियर-III के लिए लिखित वर्णनात्मक परीक्षा तथा टियर-IV के लिए क.प.प/डा.ए.कौ.प/दस्तावेज सत्यापन के रूप में होगी।
- (iii) कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए आवेदन केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को देख लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे इसके लिए पात्र हैं। सहायक दस्तावेजों की प्रतियां दस्तावेज सत्यापन के समय मांगा जाएगा। संवीक्षा करने पर यदि यह पाया जाता है कि कोई सूचना अथवा दावा ठीक नहीं है, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (iv) अजा/अजजा/अपिव/शा. दि./भूपूसै के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के

हकदार हैं। उनके पास आवेदन के समय इस विज्ञप्ति में दिए अनुसार अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।

- (v) केवल 40% और उससे अधिक की दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को ही **दिव्यांग व्यक्ति(दि.व्य.)** माना जाएगा और वे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के हकदार होंगे ।
- (vi) आयु में छूट का दावा करने वाले केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को अपने कार्यालय से लगातार सेवा की अवधि के संबंध में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से तत्काल पूर्व अवधि में कम से कम तीन वर्ष की लगातार सेवा अवधि के संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए । उनके चयन की स्थिति में उनकी नियुक्ति के समय तक वे केन्द्र सरकार सिविल कर्मचारी होने चाहिए ।
- (vii) शुल्क: भा.स्टे.बैं. चालान/भा.स्टे.बैं. नेट बैंकिंग अथवा वीजा, मास्टर कार्ड या मेस्ट्रो क्रेडिट/डेबिट कार्ड का प्रयोग के माध्यम से एक सौ रुपए केवल(100/-रुपए)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिकों (आरक्षण के लिए पात्र) से संबंधित अभ्यर्थियों को वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार आवेदन शुल्क भरने से छूट है।
- (viii) **अंतिम तिथि : 04.06.2018(सायं 5.00 बजे तक)**
- (ix) **अंतिम तिथि :** वेबसाइट <http://www.ssconline.nic.in> के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा 05.05.2018 से 04.06.2018 (सायं 5.00बजे)तक उपलब्ध होगी । ऑनलाइन शुल्क का भुगतान अंतिम तिथि तथा समय तक ही किया जा सकता है । भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखाओं में दिनांक 07.06.2018 तक बैंक के कार्यदिवसों में भुगतान कर सकते हैं बशर्ते कि आवेदनों की प्राप्ति के लिए अर्थात् 04.06.2018 (सायं 5.00 बजे तक) से पहले चालान निकाल लिया जाए ।
- (x) एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा । एक ही आवेदन के लिए एक से अधिक बार किए गए सेवा शुल्क इत्यादि सहित भुगतान किए गए शुल्क को भी वापस नहीं किया जाएगा ।
- (xi) अभ्यर्थी को 'एक बारगी पंजीकरण' करते समय उन्हें प्रदान किए गए पंजीकरण आइ डी तथा 'पासवर्ड' लिख लेना चाहिए जिसकी जरूरत ऑनलाइन आवेदन भरते समय होगी ।
- (xii) जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा । अभ्यर्थियों को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए । आयोग को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आउट भेजने की जरूरत नहीं है ।
- (xiii) संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2018 के लिए अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक ही आवेदन, ऑनलाइन जमा कराया जाए। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें। अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने के मामले में आयोग द्वारा नवीनतम आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा । यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करते हैं तथा परीक्षा में एक से अधिक बार बैठता(किसी भी स्तर पर) है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से तीन वर्ष के लिए वारित कर दिया जाएगा ।

- (xiv) अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख किए अनुसार ही अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी ।
- (xv) अपाठ्य /धुंधले फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
- (xvi) एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन /सुधार के अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (xvii) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग अभ्यर्थियों से ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से पत्राचार कर सकता है ।
- (xviii) अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपनी पहचान का फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर पेन कार्ड को मूलरूप से अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
- (xix) परीक्षा केन्द्रों के परिसर के अंदर ब्लूटूथ सहित मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पाबंदी है । परीक्षा हॉल के अंदर इस प्रकार के किसी उपकरण के पाए जाने पर, चाहे वह उपयोग में हो अथवा बंद हो उसे अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए समझा जाएगा । ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी । उनके विरुद्ध आयोग द्वारा आपराधिक कार्रवाई एवं 3(तीन) वर्ष तक आयोग की परीक्षा से वारित करने सहित जैसा आयोग निर्णय ले ,आगे कार्रवाई की जा सकती है ।
- (xx) किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरुपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी/साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी ।
- (xxi) सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात् चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।

अवर सचिव (नी.व यो.-I)

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा/पंजीकरण करने की प्रक्रिया/अनुदेश

1. अभ्यर्थियों को वेबसाइट <http://www.ssconline.nic.in> के माध्यम से आवेदन करना होगा ।
2. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन एकबारगी पंजीकरण फॉर्म/आवेदन पत्र भरने से पहले परीक्षा की विज्ञापित में दिए गए अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए।
3. अनुदेशों को पढ़ने के पश्चात् अभ्यर्थियों को पंजीकरण भाग में जाना चाहिए तथा ऑनलाइन पंजीकरण भाग भरना चाहिए ।
4. पंजीकरण भाग में अभ्यर्थियों को स्वयं से संबंधित मूलभूत सूचना जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, श्रेणी, स्थायी पता आदि भरनी होगी। विवरण जमा करने पर फॉर्म जमा करने से पहले अभ्यर्थी को विवरण की जांच करने और आवेदन पत्र में किसी प्रकार का सुधार करने का सुझाव दिया जाएगा।
5. अभ्यर्थी को ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन पत्र भरते समय सभी अपेक्षित सूचना प्रदान करनी चाहिए। अनिवार्य क्षेत्र को तारक चिह्न से अंकित किया गया है।
6. पंजीकरण फॉर्म जमा करने पर पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड वाला पृष्ठ तैयार हो जाएगा । पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड को लिख लें तथा उन्हें सुरक्षित रखें । यह आपका स्थायी पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड होगा जो इस परीक्षा के साथ साथ आयोग की किसी भी भर्ती परीक्षा में आवेदन के लिए अपेक्षित होगा।
7. पंजीकरण फॉर्म जमा करने के बाद, अभ्यर्थी को अपना नवीनतम फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर अपलोड करने चाहिए । फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना चाहिए । फोटोग्राफ फाइल का डिजिटल आकार 4 के बी से अधिक तथा 20 केबी से कम होना चाहिए । हस्ताक्षर फाइल का डिजिटल आकार 1 के बी से अधिक तथा 12 केबी से कम होना चाहिए । फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर स्पष्टरूप से दिखाई देना चाहिए तथा फोटो पहचानने योग्य भी होना चाहिए । धुंधले फोटो/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा ।
8. अभ्यर्थी द्वारा फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के पश्चात् ही पंजीकरण पूरा होगा।
9. पंजीकरण भाग पूरा करने के पश्चात् अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना चाहिए।
10. पहले से पंजीकृत अभ्यर्थी ऊपर क्र. सं. 3 से 9 के अनुदेशों को छोड़कर अपनी "पंजीकरण आइ.डी." तथा "पासवर्ड" का प्रयोग करके सीधे सिस्टम में लॉगइन कर सकते हैं और आवेदन फॉर्म भर सकते हैं ।
11. यदि अभ्यर्थी द्वारा भरे गए 'एक बारगी पंजीकरण', डाटा, फोटोग्राफ/हस्ताक्षर इत्यादि में कोई विसंगति हो तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले उस 'एक बारगी पंजीकरण' डाटा में उपयुक्त रूप से परिवर्तन किए जा सकते हैं । आयोग पंजीकरण के बाद नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग तथा मैट्रिकूलेशन अनुक्रमांक आदि में केवल एक बार संशोधन करने की अनुमति देता है । अतः इन खानों को बेहद सावधानी से भरा/परिवर्तित किया जाए । 'एक बारगी पंजीकरण' के अन्य खानों में परिवर्तन प्रत्येक परीक्षा से पहले केवल एक बार किया जा सकता है । परन्तु यह परीक्षा का आवेदन जमा करने से पहले करना होगा

। एक बार आवेदन जमा कर दिया गया है तो 'एकबारगी पंजीकरण' और 'आवेदन डाटा' में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी ।

12. कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी(क्रम सं. 23 के पैरा-2.1) को छोड़कर सभी अन्य पदों के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक डिग्री है । इस लिए कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी को छोड़कर सभी अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर सभी पदों के लिए विचार किया जाएगा । यदि आपके पास अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको इसका उल्लेख ऑनलाइन आवेदन करते समय क्रम संख्या 13 तथा 14 में करना होगा, ऐसा न करने पर इस पद के लिए आपकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा ।
13. ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी को विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए । उन्हें अपने आप संतुष्ट होना चाहिए कि वे पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं ।
14. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अंतिम रूप से जमा करने से पहले उसमें भरी गई सभी प्रविष्टियों की पूरी तरह जांच कर लेनी चाहिए । कोई भी विसंगति होने की स्थिति में, संगत प्रविष्टि में सुधार/बदलाव किया जा सकता है । ऑनलाइन आवेदन फार्म अंतिम रूप से जमा करने के पश्चात् किसी विशेष प्रविष्टि में किसी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
15. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के पश्चात, अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान करना होगा ।(जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट है उन्हें शुल्क का भुगतान करने की जरूरत नहीं है) शुल्क का भुगतान भा.स्टे.बैं. चालान/भा.स्टे.बैं. नेट बैंकिंग के माध्यम से अथवा वीजा/मास्टर कार्ड/मैस्ट्रो क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है । ऑनलाइन आवेदन जमा करने (ऑनलाइन विधि के माध्यम से शुल्क का भुगतान सहित) की सुविधा दिनांक 05.05.2018 से 04.06.2018 (सायं 5.00 बजे) तक उपलब्ध होगी। तथापि वह अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं वे दिनांक 07.06.2018 तक बैंक के कार्य समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक के निर्दिष्ट शाखा में भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके द्वारा चालान दिनांक 04.06.2018 को सायं 5.00 बजे से पहले जनरेट किया हो।
16. शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान कर लेने पर आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा तथा उसे अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा । आप अपने रिकॉर्ड के लिए इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, परन्तु आपको इसका प्रिंट आउट आयोग को जमा कराने की आवश्यकता नहीं है ।

आयु में छूट चाहने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र  
**(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)**  
**(कृपया विज्ञप्ति का पैरा 5.3 देखें)**

यह प्रमाणित किया जाता है कि \*श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो अंतिम तिथि को इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा के साथ \_\_\_\_\_ रु. के वेतनमान में \_\_\_\_\_ के पद पर कार्य कर रहे/रही हैं।

उनके संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2018 में शामिल होने के लिए कोई आपत्ति नहीं है।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_

कार्यालय की मुहर \_\_\_\_\_

स्थान:

दिनांक:

(\* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र  
(कृपया परीक्षा की विज्ञापित के पैरा 5.6 को देखें)

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार .....  
..... (नंबर).....(रैंक)  
.....(नाम).....(दिनांक).....  
.....को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे ।

स्थान:

(कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक:

कार्यालय की मुहर:



विज्ञप्ति के पैरा 5 (च) के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों  
द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं यह जानता/जानती हूँ कि यदि उस भर्ती/ परीक्षा, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है के आधार पर यदि मेरा चयन हो जाता है, तो मेरी नियुक्ति, नियोक्ता प्राधिकारी को मेरे द्वारा प्रस्तुत कागजी साक्ष्य पर उसकी इस संतुष्टि के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेना से विधिवत निर्मुक्त/ सेवानिवृत्त / कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा मैं भूपूसै (समय समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय नागरिक सेवाओं और पदों पर पुनर्नियुक्ति नियम, 1979) की शर्तों के अधीन भूपूसै को देय लाभों का अधिकारी हूँ।

मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि यदि मैंने किसी भी समय इस नियुक्ति से पहले सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूपूसै के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाते हुए कोई रोजगार प्राप्त किया हो तो मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति का पात्र नहीं हूंगा/ हूंगी, सिवाए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त, 2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-स्था(आर.) के प्रावधान के तहत।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना देता/देती हूँ :

- क) सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि \_\_\_\_\_
- ख) कार्यमुक्ति की तिथि \_\_\_\_\_
- ग) सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि \_\_\_\_\_
- घ) मेरी अंतिम यूनिट/कोर \_\_\_\_\_

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप**

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता(या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि।

**(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी\*.....  
 पुत्र/पुत्री.....निवासी ग्राम/कस्बा\* .....  
 जिला/संभाग\*.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र\*.....के .....  
 जाति/जनजाति से संबंधित है जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति\* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-  
 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950.....  
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950.....  
 संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951\* .....  
 संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र आदेश,1951\* .....

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम,1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956.....  
 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976\* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश,1959  
 संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962  
 संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश,1962@

संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964@  
 संविधान(अनुसूचित जनजाति ) (उत्तर प्रदेश) आदेश,1967@  
 संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@  
संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश,1970@  
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश,1978@  
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश,1978@  
संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश,1989@  
संविधान(अनुसूचित जाति ) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1990@  
संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1991@  
संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम,1991@  
संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1996  
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम,2002  
संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अधिनियम,2002  
संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अधिनियम,2002

**%2** यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी\* .....के माता/पिता  
श्री/श्रीमती.....निवासी  
ग्राम/कस्बा\* .....जिला/संभाग\* .....राज्य/संघ राज्य  
क्षेत्र\* ..... को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र  
के आधार पर जारी किया जाता है जो .....जाति/जनजाति से संबंधित हैं  
जो..... दिनांक .....द्वारा  
जारी.....राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के  
रूप में मान्यता प्राप्त है ।

**%3** श्री/श्रीमती/कुमारी..... और/या\* उनका परिवार सामान्यतः  
ग्राम/कस्बा\* ..... जिला/संभाग\* .....राज्य/संघ राज्य  
क्षेत्र.....में रहता है ।

हस्ताक्षर.....

\*\*पदनाम.....

स्थान.....

(कार्यालय की मुहर सहित)

दिनांक.....

\*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

**टिप्पणी:-** यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

**\*\*जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-**

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
- (iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

**टिप्पणी :-** तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को **केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी** द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु .....पुत्र/पुत्री

..... ग्राम/कस्बा .....

जिला/संभाग .....राज्य ..... समुदाय से

संबंधित हैं जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार संकल्प सं.....

दिनांक..... \* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

श्री/श्रीमती/कु० ..... तथा/या उनका परिवार सामान्यतः.....

..... राज्य के ..... जिला/संभाग में रहता/रहते हैं । यह भी प्रमाणित

किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993\*\* के कार्यालय ज्ञापन सं

36012/22/93 स्था.(एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं

हैं।

जिलाधीश.....

उपायुक्त आदि.....

दिनांक:

मुहर:

---

\* प्रमाणपत्र को जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के ब्यौरे का उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लिखित किया गया है ।

\*\* समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त सामान्यतः शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले में एवं अधापन के मामले में)

(नियम 4 देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

प्रमाणपत्र संख्या..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----  
-सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----जन्म तिथि -----  
आयु..... (दि./म./व.) .....पुरुष/महिला----- की सावधानीपूर्वक जांच की है ।

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

पंजीकरण संख्या.....स्थायी आवास मकान नं.....

वार्ड/गांव/गली.....डाकघर.....जिला.....

राज्य.....

जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला :

- गतिविषयक विकलांगता
- नेत्रहीनता का है  
(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में.....निदान किया गया है ।

(क) वे दिशानिर्देशों के अनुसार अपने.....(शारीरिक अंग)(उल्लेख करें) के संबंध में .....%(अंकों में).....प्रतिशत (शब्दों में ) स्थायी शारीरिक क्षति/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं ।

2. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(प्रारूप II एवं III में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

(नियम 4 देखें)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणपत्र संख्या..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री  
-----जन्म तिथि -----आयु.....

(दि./म./व.)

.....पुरुष/महिला----- की सावधानीपूर्वक जांच की है ।

पंजीकरण संख्या.....स्थायी आवास मकान नं.....

वार्ड/गांव/गली.....डाकघर.....जिला.....

राज्य.....जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि उनका मामला.....निःशक्तता है ।  
निःशक्तता के लिए( ब्योरा दिया जाए) दिशा निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक क्षति/निःशक्तता के स्तर का मूल्यांकन किया गया है एवं इसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के सामने दर्शाया गया है :-

क्रम सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक विकलांगता(%में)
1.	गति विषयक विकलांगता	@		
2.	अल्प दृष्टि	#		
3.	नेत्रहीनता	दोनों आँखें		
4.	श्रवण विकलांगता	\$		
5.	मानसिक मंदता	X		
6.	मानसिक बीमारी	X		

(कृपया उस निःशक्तता को काट दे जो लागू न हो)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण :

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) .....वर्ष .....माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और

इसलिए यह प्रमाणपत्र ..... तक मान्य रहेगा ।

तारीख

माह

वर्ष

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

# उदाहरणतः एक आँख/दोनों आँखें

\$ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर

(नाम एवं मुहर)

प्रतिहस्ताक्षर

यदि प्रमाणपत्र जारी करने वाला चिकित्सा प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी हस्पताल के प्रमुख के प्रति हस्ताक्षर एवं मुहर

**टिप्पणी :** यदि प्रमाणपत्र जारी करने वाला चिकित्सा प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह तभी मान्य होगा जब उस पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर हों ।



आवश्यक शैक्षिक योग्यता कोड

शैक्षिक योग्यता	कोड
प्रमाणपत्र	03
डिप्लोमा	04
बी.ए.	05
बी.ए( आनर्स)	06
बी.कॉम	07
बी.कॉम(आनर्स)	08
बी.एस.सी	09
बी.एस.सी(आनर्स)	10
बी.एड.	11
एल.एल.बी	12
बी.ई.	13
बी.टैक	14
ए.एम. आई.ई(भाग क व भाग ख)	15
बी.एस.सी(इंजी.)	16
बी.सी.ए	17
बी.बी.ए	18
रक्षा(भारतीय सेना, वायु सेना, नौ सेना) द्वारा जारी स्नातक डिग्री	19
पुस्तकालय स्नातक	20
बी.फार्मा	21
आई सी डब्ल्यू ए	22
सी. ए.	23
पी.जी.डिप्लोमा	24
एम.ए	25
एम.कॉम	26
एम.एस.सी.	27
एम.एड	28
एल.एल.एम	29
एम. ई.	30
एम. टैक	31
एम.एस.सी(इंजी.)	32
एम.सी.ए	33
एम.बी.ए	34
अन्य	35